भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 178

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

पंजाब को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज

178. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंजाब राज्य के लिए किसी विशेष वित्तीय सहायता पैकेज या ऋण-राहत तंत्र पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी नहीं। फिलहाल, पंजाब राज्य को कोई विशेष वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने 2020-21 से प्रत्येक वर्ष पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) हेतु योजनाएँ बनायी और लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत, राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएएससीआई के अंतर्गत पंजाब राज्य सरकार को अभी तक प्रदान की गयी वित्तीय सहायता 8,379 करोड़ रुपए है। यह योजना 2 लाख करोड़ रुपए के बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार पंजाब सरकार सहित राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी प्रदान कर रही है जिसमें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदान, केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शामिल हैं।
